

२५/५/२५

वादी एवं वकील वादी उपस्थित नहीं  
आए. बर कामाच दिवाणी गई. किन्तु  
कोर्ट डाय नहीं किया. ऐसी स्थिति में  
दावा वादी क्रिम हाजरी एवं क्रिम  
परवा में खारिज किया जाता है. पत्र  
प्राप्त है.

  
उपखण्ड अधिकारी  
पहाड़ी (डीग)